If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion and Confirmation Committee, consisting of:- 1. Additional Director/ Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune -Chairman 2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune –Member 3. Group 'A' officer from other Central Government, Ministry/Department – Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/42/2017-E.II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 411.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रोग्रामक) भर्ती नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रोग्रामक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रोग्रामक) भर्ती नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में , नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायगा, अर्थात:--

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है"।

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, स्तंभ (4) में, स्तम्भ शीर्ष और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्ष और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10(56100 रु.).".

[फा. सं. 31011/06/2017- जी डब्ल्यू ई]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, अधिसूचना संख्या, सा.का.नि. 576, तारीख 02/08/1986 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

New Delhi, the 10th November, 2017

G.S.R. 411.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Programmer) Recruitment Rules, 1986 namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, (Programmer) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (Programmer) Recruitment Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"**2.Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the Schedule to the said rules, in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
4
Level-10 (Rs.56100) in the pay matrix.".

[F. No. A.31011/06/2017-GWE]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 576, dated the 2nd August, 1986.

नई दिल्ली,10 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 412.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड बिजली मिस्त्री, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में बिजली मिस्त्री (उच्च कुशलता) श्रेणी-I, श्रेणी- II के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, में बिजली मिस्त्री (उच्च कुशलता) श्रेणी-I, श्रेणी-II भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1986

सा. का. नि. 576 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय में प्रोग्रामक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रोग्रामक) भर्ती नियम, 198 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(क)
1. प्रोग्रामक	1*(1986) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अननुसचिवीय)	700-40-900-द.रो.-40-1100-50-1300 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पणी :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/संक्रिया अनुसंधान/भौतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर की डिग्री या इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य । (2) इलैक्ट्रानिक आंकड़ा प्रसंस्करण का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम दो वर्ष का अनुभव, किसी इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर पर वास्तविक प्राग्राम में होना चाहिए । वांछनीय :— (1) कम्प्यूटर प्रोग्रामन प्रणाली डिजाइन/विश्लेषण में औपचारिक प्रशिक्षण (2) एक या अधिक प्रोग्रामन भाषा का ज्ञान (भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी) टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण: 2. अनुभव संबंधी अर्हता, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे ।	लागू नहीं होता	एक वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा ।
10	11
सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन) जल संसाधन मंत्रालय—अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्र भूमिगत जल बोर्ड—सदस्य 3. उप सचिव (भूमिगत जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय)—सदस्य टिप्पण :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी ।	चयन प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा ।

[सं० 21-7/84-जी. डब्ल्यू]

स० नाथ, उप सचिव

New Delhi, the 17th July, 1986

G.S.R. 576.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Programmer in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board (Programmer) Recruitment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a m[arriage] with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered int[o or] contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if sa[tisfied] that such marriage is permissible under the personal [law] applicable to such person and the other party to the ma[rriage] and that there are other grounds for so doing, exemp[t any] person from the operation of the rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government [is of] the opinion that it is necessary or expedient so to [do, it] may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commi[ssion,] relax any of the provisions of these rules with respect to [any] class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall effect reserva[tions,] relaxation of age-limit and other concessions required [to] be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled T[ribes] and other special categories of persons in accordance [with] the orders issued by the Central Government from tim[e to] time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 3[0] of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	6(a)
Programmer	1*(1986) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A' Gazetted (Non-ministerial)	Rs. 700-40-900-EB-40-1100-50-1300	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10 11
Essential :— (i) Master's degree in Statistics	Not applicable.	One year.	By direct recruitment.

7	8	9	10
mathematics/Operations Research/Physics or Economics/Commerce (with Statistics) or degree in Engineering/Computer Science of a recognised University or equivalent. (ii) 3 years' experience of electronic data processing work out of which atleast 2 year's experience should be in actual programming on an electronic computer. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. Desirable: (i) Formal training in Computer Programming/System design/analysis. (ii) Knowledge of one or more programming languages (to be indicated at the time of recruitment).			

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer. grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
11	12	13
Not applicable	Departmental Promotion Committee, Group 'A' (for considering confirmation) consisting :— 1. Joint Secretary (Administration), Ministry of Water Resources.—Chairman 2. Chairman, Central Ground Water Board. —Member. 3. Deputy Secretary (Ground Water), Ministry of Water Resources—Member. Note : The proceeding of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman of a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the U.P.S.C.

[No. 21-7/84-GW]

S. NATH, Dy. Secy.